न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 29/2021

सुगडाराम पुत्र श्री मेहरचन्द जाति गुर्जर निवासी ग्राम चिमनपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1762 दिनांक 26/6/2013 ग्राम नारहेडा द्वारा तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 5-8-2021

अपीलान्ट ने नामान्तरकरण सख्या 1762 दिनांक 26/6/2013 वाके ग्राम नारहेडा तस्दीक द्वारा तहसीलदार कोटपूतली बाबत ख.नं. 244/0.82 व 278/0.46 वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के विरूद्व जरिये वकील अपील पेश की है, जिससे व्यथित होकर निम्न आधारों पर अपीलार्थी द्वारा अपील पेश की है, जिसमें वर्णित तथ्य इस प्रकार पेश किये हैं :–

1. यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 244/0.82 व 278/0.46 वाके मौजा नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.) में स्थित है।
2. यह है कि अपीलान्ट व उसमें परिवारजन ने एक वाद ब उनवानी कैलाश वगैरह बनाम जगदीश वगैरह मुकदमा नम्बर 84/2009 बाबत घोषणात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05/9/2012 के द्वारा अपीलान्ट एवं उसमें परिवारजनों को आराज़ी हाल ख.नं. 244/0.82 व 278/0.46 वाके मौजा नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था, जिसकी पालना में नामा.सं. 1762 दिनांक 26/6/2013 ग्राम नारहेडा भरा गया था जिसमें निर्णय अनुसार अपीलान्ट एवं उसके परिवारजनों का हिस्सा पटवारी हल्का ने लिपिकीय त्रुटि के कारण लिखने से रह गया जबकि वाद के निर्णय में स्पष्ट अपीलान्ट उसके परिवाजन का हिस्सा अंकित किया गया है।
3. यह है कि अपीलान्ट व उसके परिवारजन का खानदानी सजरा प्रस्तुत अपील में वर्णित है।

जिला कलक्टर
(जयपुर)

4. यह है कि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के निर्णय व डिक्री में मृत्क सुल्तान के वारिसान् का हिस्सा 1/3 मृत्क मेहरचन्द के वारिसान् का हिस्सा व मृत्क लीलाराम के वारिसान् का हिस्सा 1/3 दर्ज किया गया था, लेकिन पटवरी हल्का ने निर्णय एवं डिक्री का नामान्तरकरण की पृविष्टि करते समय लिपिकीय त्रूटी के कारण हिस्सा दर्ज करना रह गया तथा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दौराने सेग्रिगेशन अपीलान्ट व उनके परिवारजनों का हिस्सा गलत दर्ज कर दिया, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।
5. यह है कि अपीलान्ट का इस तथ्य की जानकारी गत सप्ताह पटवारी हल्का के पास आराजी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकल लेने से हुयी जिस पर अपीलान्ट ने सम्बन्धित दस्तावेजात् की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तथा तहसीलदार कोटपूतली को राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट व उनके परिवारजनों को हिस्सा दुरूस्त करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा की सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें। इसलिए माननीय न्यायालय में अपील करना आवश्यक हुआ ।
6. यह है कि अपीलान्ट को नामा.सं. 1762 दिनांक 26/6/2013 ग्राम नारहेडा के बाबत पूर्व में जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट को इस तथ्य की जानकारी गत सप्ताह पटवारी हल्का के पास आराजी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकल लेने से हुयी है जिस पर अपीलान्ट ने सम्बन्धित दस्तावेजात् की नकल प्राप्त की और अपना वकील नियुक्त कर बिना किसी देरी के अपील माननीय न्यायालय में पेश की है फिर भी अपील पेश करने में हुयी देरी के लिए अलग से प्रार्थना–पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम पेश किया जा रहा है।
7. यह है कि अपील श्रीमान् न्यायालय को श्रवणाधिकार है तथा अपील उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाधीन नामा.सं. 1762 ग्राम नारहेडा दिनांक 26/6/2013 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली बाबत आराजी हाल ख.नं. 244/0.82 व 278/0.46 वाके मौजा नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान में वर्णित डिक्री व निर्णय के अनुसार अपीलान्ट व उसके परिवारजन का हिस्सा दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।
8. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समायत पायी जाने पर अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट की तल्बी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये, सम्मन नोटिस बाद तामील होने पर संलग्न पत्रावली किये गये।
9. बहस वकील अपीलान्ट सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि आराजी हाल ख.नं. 244/0.82 व 278/0.46 वाके मौजा नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। अपीलान्ट व उनके परिवारजनों द्वारा एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के सक्षम ब उनवानी कैलाश वगैरह बनाम जगदीश वगैरह मु.नं. 84/2009 बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया, जिसमें निर्णय एवं डिक्री दिनांक

अति. जिला कलक्टर

05/9/2012 के द्वारा उक्त आराजी खसरा नम्बर 244/0.82 व 278/0.46 वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली का अपीलान्ट व उसमें परिवारजनों को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था जिसकी पालना में नामा.सं. 1762 दिनांक 26/6/2013 वाके ग्राम नारहेडा भरा गया, जिसमें निर्णय अनुसार पटवारी हल्का द्वारा ऋटिवंश अपीलान्ट व उनके परिवारजनों का हिस्सा अंकन करने से रह गया जबकि वाद के निर्णय में अपीलान्ट एवं उनके परिवारजनों का हिस्सा अंकित किया गया था । न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में मृत्क सुल्तान के वारिसान् का हिस्सा 1/3, मृत्क मेहरचन्द के वारिसान् का हिस्सा 1/3 व मृत्क लीलाराम वारिसान् का हिस्सा 1/3 दर्ज किया गया था, लेकिन पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण दर्ज करते समय लीपिकीय ऋटिवश अपीलान्ट व उनके परिवारजनों का हिस्सा दर्ज करने से रह गया तथा राजस्व रिकॉर्ड दौराने सेग्रिगेशन अपीलान्ट व उनके परिवारजन का हिस्सा गलत दर्ज कर दिया जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त नामा0सं0 1762 दिनांक 26/6/2013 ग्राम नारहेडा के बाबत पूर्व में जानकारी नहीं थी। गत सप्ताह पटवारी हल्का से नकल जमाबंदी लेने से हुयी, देरी माफी के लिए मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र दफा–5 अपील के संलग्न पेश है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर नामा.सं. 1762 वाके ग्राम नारहेडा दिनांक 26/6/2013 बाबत आराजी ख.नं. 244/0.82 व 278/0.46 में वर्णित डिक्री व निर्णय अनुसार अपीलान्ट एवं उनके परिवारजन का हिस्सा दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

10. बहस पैरोकार सरकार सुनी गयी। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस में पैरोकार सरकार का अभिकथन है कि नामा.सं. 1762 वाके ग्रम नारहेडा तहसीलदार तहसील कोटपूतली द्वारा तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तरकरण में वर्णित खसरा नम्बरान् 244/0.82 व 278/0.46 में अपीलान्ट व उनके परिवारजनों का मुताबिक निर्णय व डिक्री मान्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के अनुसार हिस्सा का अंकन नहीं हुआ है तो उसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत है।

11. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, साक्ष्यों एवं सबूतों का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत की गयी बहस पर मनन किया गया तो पाया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के निर्णय व डिकी आदेश की पालना में तहसीलदार कोटूपतली के आदेश कमांक /भू.अ./631 दिनांक 11/3/2013 की पालना में नामा.सं. 1762 वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली द्वारा तहसीलदार कोटपूतली दिनांक 26/6/2013 को स्वीकार होना पाया जाता है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में जाहिर किया है कि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा वाद संख्या 84 ब उनवान कैलाश वगैरह बनाम जगदीश में आ.ख.नं. 244/0.82 व 278/0.46 वाके ग्रम नारहेडा तहसील कोटपूतली बाबत घोषणात्मक वाद में निर्णय व डिक्री

आदेश 05/9/2012 पारित कर मृत्क सुल्तान के वारिसान् का हिस्सा 1/3 मृत्क मेहरचन्द के वारिसान् का हिस्सा 1/3 व मृत्क लीलाराम के वारिसान् का हिस्सा 1/3 का निर्णय पारित किया गया था। उक्त निर्णय की पालना में नामा.सं. 1762 पटवारी हल्का द्वारा भरा गया जिसमें अपीलान्ट व उनके परिवारजनों का हिस्सा लीपिकीय त्रुटिवश नहीं भरा गया जबकि मान्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के यहां से निर्णय व डिक्री मे स्पष्ट आदेश थे। इसलिए प्रार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जावें तथा अपीलान्ट एवं उनके परिवारजनों का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करावें।

चूँकि पत्रावली के अवलोकन करने तथा नामा.सं. 1762 वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली का अवलोकन करने से अपीलान्ट एवं उनके परिवारजनों का उक्त नामा. में हिस्सा दर्ज नहीं है जबकि तहसीलदार को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के निर्णय व डिक्री आदेश की पालना अनुसार हिस्सा दर्ज कर ही उक्त नामा. को स्वीकार किया जाना चाहिए था परन्तु मुताबिक निर्णय/डिक्री के आदेशों की अनदेखी कर ही उक्त नामान्तरकरण को दिनांक 26/6/2013 को स्वीकार किया है, जो न्यायोचित एवं विधि सम्मत नहीं है। ऐसी सिथति में प्रकरण को प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

12. अतः उपरोक्त विवचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा नामा.सं. 1762 वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली स्वीकार द्वारा तहसीलदार कोटपूतली दिनांक 26/6/2013 अपास्त किया जाकर प्रकरण प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर तहसीलदार कोटपूतली को आदेश दिये जाते है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा डिक्री व निर्णय में पारित आदेश दिनांक 05/9/2012 के मुताबिक पक्षकारों को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उनके राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा दर्ज करने बाबत विधि संगत निर्णय पारित करें।

13. निर्णय आज दिनांक 5.8.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)